



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 2227/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
सुधीर जैन एस&37] वसुन्धरा कॉलोनी] टोक रोड] जयपुर, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं लो0सू0अ0 लोकायुक्त शासन सचिवालय, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 10-05-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री कैलाश पारासर, अनुभागाधिकारी उपस्थित।
3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 23-06-2017 के द्वारा ईको टूरिज्म पर्यटक की सुविधाओं के संबंध में 5 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 29-08-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने बताया कि आवेदन में चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी के द्वारा जो सूचना चाही गई है, उससे संबंधित पत्रावली में कार्यवाही विचाराधीन है। लोकायुक्त कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(सी) के अनुसार जब तक रिपोर्ट सदन में पेश नहीं हो जाती है उससे पूर्व उसकी नोटशीट की प्रति उपलब्ध नहीं कराई जाती है। प्रथम अपील निर्णय दिनांक 29-08-2017 से निरस्त की गई है। यह भी बताया कि अपीलार्थी से राज्य लोक सूचना अधिकारी ने वांछित सूचना के बिन्दु संख्या 1 के बाबत पत्र दिनांक 07-07-2017 से 652 रूपये की मांग की थी जो अपीलार्थी के द्वारा जमा नहीं कराये गये हैं।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 05-04-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। पत्र दिनांक 07-07-2017 एवं प्रथम अपील निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध है।

7. अपीलार्थी द्वारा प्रतिक्रिया प्रस्तुत की गई है जो बलहीन है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त